

- आदेश -

क्रमांक सं० 2344
दिनांक 20.8.16

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डुंग्री-बिजराकोट-स्वींग-कोठागधार-नौरी-बौला मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 3.150 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 6.300 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप जिलाधिकारी चमोली की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डुंग्री-बिजराकोट-स्वींग-कोठागधार-नौरी-बौला मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 3.150 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम कुर्जों मैकोट प०वृ० छिनका तहसील चमोली की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा०सं०-32 के खसरा सं०-1879 रकबा 12.516 है० मध्ये 6.300 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/XVIII(II) / 2012-18 (120) / 2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(विनोद कुमार सुमन),

जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 6387 / छब्बीस-48 (2015-2016) गोपेश्वर दिनांक: 11 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि:-- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, चमोली।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, गोपेश्वर।

जिलाधिकारी,
चमोली।

तेपूरक

122,
इ की
प्राप्त
1 माँग
करोड़

ग हेतु
ग के

ल न
ब से
माँग

किगा
न न

राशि
रुद्ध
मित

न्य
नी

पर
मे

1)

2011, 18/05/2011

विद्या विद्या

Page 11

५-
अथ ज्ञान के वर्णित भूमि दुर्ग - बिजलकोट
हिमालय, पुगीपुर एक ओर मक्ति मिडीक हेक्
6-300 हे० बलिपुत्रक पृष्ठाव्यापण हेक् कस्तूरिद्व द्व

~~22.6.2017~~

दा. प्र. दा. प्र.

१५५२ कि०

204.120

